Need to include Rajasthani language in the Eighth Schedule to the Constitution.-laid

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): मैं संविधान की आठवीं अनुसूची में करोडो राजस्थानियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को सर्वैधानिक मान्यता देने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

"हेलो मायड़ भाषा रो" अभियान के तहत अनेक वर्षो से सार्वजनिक मंचो पर यह मांग उठाई जा रही है। राजस्थानी भाषा बहुत प्राचीन है और इसका अपना एक अलग ही समृद्ध इतिहास और साहित्य है जिसे देश व विदेश में10 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं। इस भाषा को देश प्रदेश की कई साहित्यिक अकादमियों ने मान्यता दी हैऔर कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी यह शामिल है।राजस्थानी फ़िल्में बहुत लोकप्रिय है और इस भाषा की मिठास और लोकगीत, भजन, धारावाहिक आदि भी जनप्रिय है।

महात्मा गांधी ने कहा था कि "एक बच्चा अपनी मातृभाषा में सबसे ज्यादा सीखता है"। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थान विधान सभा द्वारा वर्ष 2003 में सर्वसम्मति से संकल्प पारित कर संसद को भेजा गया था और तत्कालीन गृहमंत्री ने 17 दिसंबर, 2006 को राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए आश्वासन दिया था। राजस्थानी भाषा की लोकप्रियता को देखते हुए इसे आठवीं अनुसूची में शामिल करने से देश के सबसे बड़े भूभाग वाले प्रान्त राजस्थान के करोड़ो लोगो की भावानाओ को उचित सम्मान मिलेगा और राजभाषा हिंदी के विकास और संरक्षण में मदद मिलेगी।